सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **354/2017** दायर दिनाँक **12.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. पूर्णाराम पुत्र अरजनराम, उम्र–74साल, जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुखाराम पुत्र भूराराम, उम्र–64साल, 2. मोहनराम पुत्र भूराराम, उम्र–58साल, 3. तिलोकाराम पुत्र भूराराम, उम्र–56साल, 4. छोटूराम पुत्र भूराराम, उम्र–54साल, 5. सुगनाराम पुत्र भूराराम, उम्र–52साल, 6. आईदानराम पुत्र भूराराम, उम्र–50साल, 7. सालमराम पुत्र भूराराम, उम्र–46साल, 8. प्रहलादराम पुत्र भूराराम, उम्र–40साल, 9. जेतीदेवी पुत्री भूराराम, उम्र–60साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. सुखीदेवी पत्नी मोडाराम, उम्र–65साल, 11. सीतादेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–44साल, 12. उम्मेदीदेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–40साल, 13. शारदादेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–38साल, 14. शान्तिदेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–34साल, 15. छोटीदेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–30साल, 16. श्रीकिशन पुत्र मोडाराम, उम्र–36साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–तीतरी, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. मेघाराम पुत्र रामकरणराम, उम्र–38साल, जाति–जाट,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. एस.बी.आई.बैंक, शाखा–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री अशोककुमार भाकर, वकील, वादी।
2. श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05 व 07 ता 17 की ओर से।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **05.02.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 एक ही परिवार के सदस्य हैं। शरहद चौमूँ में खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 40.13 बीघा, खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 20.19 बीघा कुल रकबा 61.12 बीघा अवस्थित है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि में से वादी का 1/2 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का 1/2 हिस्सा उक्त पैतृक जायगा में बन्टवारा आया हुआ है। उक्त खसरान् की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 16 का हिस्सा नहीं बनता है, इनका हिस्सा ग्राम तीतरी में अवस्थित पैतृक खेत खसरा नम्बर 158 रकबा 16.14 बीघा व खसरा नम्बर 260 रकबा 68.11 बीघा, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 125 रकबा 05.19 बीघा, खसरा नम्बर 208 रकबा 13.04 बीघा, खसरा नम्बर 220 रकबा 20.02 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 17.02 बीघा, खसरा नम्बर 233 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 272/416 रकबा 0.05 बीघा में सम्पूर्ण हिस्सा बन्ट दे दिया गया है। नकल पेश है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 17 का हिस्सा भी ग्राम चौमूँ के खसरा नम्बर 196 रकबा 40.13 बीघा, खसरा नम्बर 202 रकबा 20.19 बीघा, कुल रकबा 61.12 बिस्वा में नहीं बनता है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 17 को ग्राम कोलिया के खसरा नम्बर 335 रकबा 45.15 बीघा, खसरा नम्बर 336 रकबा 35.07 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा 20.05 बीघा, खसरा नम्बर 341 रकबा 20.10 बीघा, खसरा नम्बर 1039 रकबा 02.04 बीघा, कुल रकबा 124.01 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 व प्रतिवादी संख्या 17 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त जायगा में से प्रतिवादी संख्या 17 को 41.07 बीघा बन्ट में दे रखा है। नकल पेश है। वादी द्वारा पेश खतौनी में धन्नीदेवी पत्नी रामकरण का नाम दर्ज है जो कि फौत हो चुकी है, इसलिए उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–354 / 2017
दायर दिनाँक 12.12.2017, निर्णय दिनाँक 05.02.2018
पूर्णाराम बनाम् सुखाराम, वगैरा।

प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 17 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से सीमा विवाद होने के कारण वादी को वाद बाबत् घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया है।

तसीलदार लैण्ड होल्डर होने के कारण तहसीलदार डीडवाना को व वादग्रस्त भूमि के रहन रखे होने से बैंक को पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 17 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बैचाण की धमकी वादी को दिये जाने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद चौमूँ में खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 40.13 बीघा, खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 20.19 बीघा, कुल रकबा 61.12 बीघा वादी के 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे।

वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 17 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02, 06, 18 व 19 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मं लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05, 07 ता 17 बीच राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारात् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अशोककुमार भाकर ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री हरफूल राव ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक, शरहद चौमूँ में खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 40.13 बीघा, खेत खसरा नम्बर 202 रकबा 20.19 बीघा कुल रकबा 61.12 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग का वादी के नाम से व हिस्सा 1/2 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के नाम से खातेदारी घोषित की जावे व उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 17 का नाम हटाया जावे।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी ग्राम चौमूँ सम्वत् 2070–2073 खसरा नम्बर 196 व 202 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम चौमूँ सम्वत् 2070 खसरा नम्बर 196 की प्रमाणित प्रतिलिपि,पेश की है।

वकील वादी ने निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में धन्नीदेवी खातेदार है जो फौत हो चुकी है तथा धन्नी देवी के एक पुत्र मेघाराम, व पुत्रिया गुलाबदेवी, किशनादेवी, चतरी देवी, पांचीदेवी है। धन्नीदेवी की पुत्रिया ने खसरा नं0 196, 202 कुल रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा में से अपना सम्पूर्ण संभावित हिस्सा अपने भाई मेघाराम के नाम तर्क करवा दिया जिसके तर्कनामा की फोटो प्रतियां पेश की। मेघाराम उक्त वाद में प्रतिवादी पक्षकार है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुलाय पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। वकुलाय

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–354 / 2017
दायर दिनाँक 12.12.2017, निर्णय दिनाँक 05.02.2018
पूर्णाराम बनाम् सुखाराम, वगैरा।

पक्षकारान् राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमत है। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय राजीनाम पेश कर उसी अनुसार दावा डिक्री चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद चौमूँ में खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 40.13 बीघा व खसरा नम्बर 202 रकबा 20.19 बीघा, कुल रकबा 61.12 बीघा, का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवारा कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. कुल रकबा 61.12 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. कुल रकबा 61.12 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 17 का नाम हटाया जाता है। खातेदार धन्नीदेवी पत्नी रामकरणराम का नाम भी उक्त खसरा नम्बरान से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **354/2017** दायर दिनाँक **12.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. पूर्णाराम पुत्र अरजनराम, उम्र–74साल, जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सुखाराम पुत्र भूराराम, उम्र–64साल, 2. मोहनराम पुत्र भूराराम, उम्र–58साल, 3. तिलोकाराम पुत्र भूराराम, उम्र–56साल, 4. छोटूराम पुत्र भूराराम, उम्र–54साल, 5. सुगनाराम पुत्र भूराराम, उम्र–52साल, 6. आईदानराम पुत्र भूराराम, उम्र–50साल, 7. सा**मन**राम पुत्र भूराराम, उम्र–46साल, 8. प्रहलादराम पुत्र भूराराम, उम्र–40साल, 9. जेतीदेवी पुत्री भूराराम, उम्र–60साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. सुखीदेवी पत्नी मोडाराम, उम्र–65साल, 11. सीतादेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–44साल, 12. उम्मेदीदेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–40साल, 13. शारदादेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–38साल, 14. शान्तिदेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–34साल, 15. छोटीदेवी पुत्री मोडाराम, उम्र–30साल, 16. श्रीकिशन पुत्र मोडाराम, उम्र–36साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–तीतरी, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. मेघाराम पुत्र रामकरणराम, उम्र–38साल, जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. एस.बी.आई.बैंक, शाखा–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **05.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोककुमार भाकर, वकील, वादी व श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05 व 07 ता 17 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद चौमूँ में खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 40.13 बीघा व खसरा नम्बर 202 रकबा 20.19 बीघा, कुल रकबा 61.12 बीघा, का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवारा कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. कुल रकबा 61.12 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. कुल रकबा 61.12 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 17 का नाम हटाया जाता है एवं खातेदार धन्नीदेवी पत्नी रामकरणराम का नाम भी उक्त खसरा नम्बरान से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ .....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.02.2018** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner